न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

प्र.सं0 - 181/2021

पक्षकारान : -

1. राधाकृष्ण पुत्र श्री महिपतराम जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
2. जयमल पुत्र श्री महिपतराम जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
3. सावित्री पत्नी मुन्शीराम जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
4. माया पुत्री मुन्शीराम पत्नी औंकारमल जाति जाट नि0 ललानाबास दिखणादा त0 नोहर

:- वादी

बनाम

1. चन्द्रकला पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
2. जयपाल पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
3. सुभाष पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
4. सरस्वती पत्नी विनित पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी घेऊ हाल निवासी बैर त0 भादरा।
5. सुन्दरकुमारी पत्नी मुकेशकुमार सहारण पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी घेऊ हाल निवासी मलसीसर त0 भादरा।
6. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
7. एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:–प्रतिवादीगण

दावा बाबत : जोत विभाजन व खाता तकसीम

अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्र जाखड़ **: वादी**

वकील श्री तरूण मिश्रा **:प्रतिवादीगण।**

दिनांकः 22.06.2022

निर्णय

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घेऊ के खाता सं0 308/256 के खसरा सं0 156/1 की 7.062है0, खसरा सं0 382/1 की 4.964है0, खसरा सं0 752/1 की 1.549है0 कुल खसरा 3 की 13.575है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादी राधाकृष्ण व जयमल संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा, वादी सावित्री व माया संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति व पिता स्व0 मोहनलाल के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

विवादित कृषि भूमि का पक्षकारान के मध्य वाहमी बंटवारा मीट्स एण्ड बाऊण्ड से अर्सा 10 वर्ष पहले हो चुका है। पक्षकारान अपने वाहमी बंटवारा के मुताबिक अपने हिस्से की भूमि काश्त करते आ रहे है। महज कागजात माल में खाता मुश्तर्का दर्ज है चूंकि पक्षकारान का खाता काफी बडा है तथा पक्षकारान के मध्य काश्त व लगान की बाबत तनाव होता रहता है,

Scanned with CamScanner

...र वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक वाहमी बंटवारा अपने हिस्से का खाता व लगान अलग ... करवा पाने का कानूनी मजाज है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब ... गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता की मार्फत दावा को ...कार करते हुए अपना जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण ... 5 ता 7 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं आए। इसलिए उनके खिलाफ एक पक्षीय ...वाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 8 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। वकील ...दी एवं प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर अनापति जाहिर की।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के ...दों को दौहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान मुताबिक वाहमी बंटवारा के उनको दी गई ...े पर काश्त करते आ रहे है। उसी अनुसार खाता लगान अलग अलग कायम किये जाने ...ु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ...क के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज भूमि का अन्य सहखातेदारान से खाता व लगान ...लग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जो ...त्यप्रतिलिपि जमाबन्दी रोही मौजा घेऊ के खाता सं0 308/256 के खसरा सं0 156/1 की 7. ...62है0 खसरा सं0 382/1 की 4.964है0, खसरा सं0 752/1 की 1.549है0 कुल खसरा 3 की ...3.575है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादी राधाकृष्ण व जयमल संयुक्त रूप से 1/2 ...हिस्सा, वादी सावित्री व माया संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति व ...िता स्व0 मोहनलाल के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज इस प्रकार वाद ...ादी साबित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा घेऊ के खाता सं0 308/256 ...के खसरा सं0 156/1 की 7.062है0 खसरा सं0 382/1 की 4.964है0, खसरा सं0 752/1 की 1.549है0 कुल खसरा 3 की 13.575है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादी राधाकृष्ण व जयमल संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा, वादी सावित्री व माया संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पति व पिता स्व0 मोहनलाल के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिर्पोट व मय रगंदार नक्शा दिनांक 02.05.2022 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ पक्षकारान को सुना गया। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता हैः–

1 हिस्सा राधाकृष्ण पुत्र महिपतराम जाति जाट सा0 देह खातेदारः–

खसरा सं0 382/4 का 1.241है0, खसरा सं0 752/2 का 0.387है0, खसरा सं0 156/2 की 0. 380है0, खसरा सं0 156/6 की 1.385है0 कुल किता 4 की 3.393है0 बारानी 1।

2 हिस्सा चन्द्रकला पत्नी मोहनलाल, सुन्दर, सरस्वती पुत्रिया मोहनलाल, जयपाल, सुभाषचन्द्र पि. मोहनलाल जाति जाट सा देह खातेदार :–

खसरा सं0 382/1 की 1.241है0, खसरा सं0 752/1 की 0.387है0, खसरा सं0 156/1 की 0. 380है0, खसरा सं0 156/7 की 1.385 है0 कुल किता 4 की 3.393है0 बारानी 1।

Scanned with CamScanner

3. हिस्सा जयमल पुत्र महिपतराम जाति जाट सा0 देह खातेदार :–

खसरा सं0 382/3 की 1.241है0, खसरा सं0 752/4 की 0.387है, खसरा सं0 156/4 की 1.765 है0 कुल किता 3 की 3.393है0 बारानी 1।

4. हिस्सा सावित्री पत्नी मुन्शीराम, माया पुत्री मुन्शीराम बहिस्सा बराबर जाति जाट सा0 देह खातेदार :–

खसरा सं0 382/2 की 1.241है0, खसरा सं0 752/3 की 0.387है0, खसरा सं0 156/3 की 0.380है0, खसरा सं0 156/5 की 1.385है0 कुल किता 4 की 3.393है0 बारानी 1।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन यथावत रखा जावे। इसी इनुसार पर्चा डिक्री संलग्न कर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़